समक्ष उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय

नैनीताल

रिट याचिका संख्या 647 सन 2019 (एम/एस)

भगवती श्रमिक संगठन

पंत नगर और अन्य. ...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ... प्रत्यर्थी

श्री एम. सी. पंत, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता

श्री योगेश पांडेय, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, श्री एम. एस. बिष्ट के साथ , उत्तराखंड राज्य के लिए ब्रीफ़ होल्डर के साथ।

श्री मुकेश कपरवान, प्रत्यर्थीन. 7/सिड़कुल के अधिवक्ता, श्री राकेश थापालियाल, के ब्रीफ़ होल्डर ।

श्री टी . ए. खान, वरिष्ठ अधिवक्ता सहायक श्री ए. के. आर्य, प्रत्यर्थी नं.8/फैक्ट्री के अधिवक्ता ।

माननीय आलोक सिंह, जे.

1. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत चाहते है:

"(I) परमादेश के रूप में रिट , आदेश या निर्देश प्रत्यर्थीन. 1 को जारी करें कि अवैध छंटनी जो बंद करने के बराबर है ,के संबंध में 14 जनवरी, 2019 के आवेदन में उजागर किए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपात आदेश जारी करके उत्तर प्रदेश आई.डी .अधिनियम की धारा 3 (बी) के संदर्भ में उचित आदेश पारित करना और अग्रेतर फैक्ट्री की मशीनरी और संयंत्रों की सुरक्षा के लिए आदेश पारित करना, जिसे फैक्ट्री के प्रबंधन द्वारा अवैध रूप से बंद करने/छंटनी की आड़ में केवल श्रमिकों के हेतुक को विफल करने के लिए हटाया जा रहा है/

(II) प्रत्यर्थीन. 1, 2 और 7 को बेरोजगारी की रोकथाम के लिए 1966 की अधिनियम संख्या 25 की शक्तियों का उपयोग करने और याचिकाकर्ताओं और इसी तरह के अन्य 2 श्रमिकों को, जो अपनी आजीविका के लिए अवैध छंटनी से प्रभावित हैं, श्रम न्यायालय निधि से निर्वाह भत्ता देने पर विचार करने के लिए परमादेश के रूप में रिट , आदेश या निर्देश जारी करें"

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता एक ट्रैड यूनियन है जो कि प्रत्यर्थी नं.8-फैक्ट्री के कर्मचारियों द्वारा बनाई गई; श्रमिकों ने एक ट्रेड यूनियन बनाने का फैसला किया है और 24 जुलाई, 2018 को ट्रेड यूनियन के डिप्टी रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकरण के लिए आवेदन किया है। कर्मचारियों के सत्यापन के संबंध में जानकारी प्रबंधन को भेजी गई थी, फिर प्रबंधन ने श्रमिकों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और दिसंबर, 2018 में अवैध रूप से फैक्ट्री को लॉक कर दिया गया। प्रबंधन कारखाने के संयंत्र और मशीनरी को स्थानांतरित कर रहा है, कामगारों ने दिसंबर, 2018 में श्रम आयुक्त के समक्ष एक आवेदन दिया था और, दिनांक 31.12.2018 के पत्र द्वारा, इस मामले को प्रतिवादी संख्या 1-प्रधान सचिव, श्रम विभाग, देहरादून को सूचित किया गया था; श्रमिकों ने दिनांक 14.01.2019 के आवेदन द्वारा प्रत्यर्थीनं.1 से निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की खंड 3 (बी) के अंतर्गत आपात आदेश जारी करने के लिए, बंद को अवैध घोषित करने और संयंत्र और मशीनरी को स्थानांतरित करने के लिए प्रबंधन को प्रतिबंधित करने के लिए, लेकिन आज तिथि तक, कोई कार्रवाई नहीं की गई है।याची के विद्वान याचिकाकर्ता अग्रेतर तर्क देते हैं कि प्रबंधन संयंत्र और मशीनरी को स्थानांतरित कर रहा है और कारखाने की प्रकृति को बदलने की कोशिश कर रहा है, जिससे कामगारों को बहुत कठिनाई होगी और यदि संयंत्र और मशीनरी को पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो वर्तमान याचिका दाखिल करने का उद्देश्य विफल हो जाएगा.

3.अधिनियम की खंड 3 राज्य सरकार को एक सामान्य या विशेष आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है जिसमें नियोक्ताओं, कामगारों या दोनों को ऐसी अवधि के लिए पालन करने की आवश्यकता होती है जो आदेश में निर्धारित की जाए। इस शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा किया जाना अपेक्षित है, बशर्ते वह यह मत बनाए कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा सुनिश्चित आदेश या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं में आपूर्ति बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन था। सुविधा के लिए, अधिनियम की धारा 3 (बी) के प्रावधानों को नीचे उद्धृत किया गया हैः-

> ***"3. हड़तालों, तालाबंदी आदि को रोकने की शक्ति। यदि राज्य सरकार की मत में सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा सुनिश्चित करने या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, -***
>
> ***(क).....***
>
> ***(ख) नियोजकों, कर्मकारों या दोनों को ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, नियोजन के ऐसे निबंधन और शर्तों का पालन करने की अपेक्षा करने के लिए, जो आदेश के अनुसार अवधारित की जाएं।***

4.उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 (ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार के पास असाधारण शक्तियां निहित हैं। प्रारंभिक शब्दों से यह स्पष्ट है कि इसमें निहित प्रावधान का प्रयोग विकट आपातकाल में ही किया जाना चाहिए । और उस स्थिति में अधिनियम की धारा 4K के अन्तर्गत केवल शक्ति का सहारा लेना स्थिति को संभालने के लिए अपर्याप्त होगा, जो कि उद्योगों में प्रचलित है । यह प्रावधान राज्य सरकार को आपातकाल के मामले में सार्वजनिक सुरक्षा, सुविधा या सार्वजनिक व्यवस्था या समुदाय के जीवन के लिए आवश्यक सेवाओं या रोजगार को बनाए रखने के लिए तुरंत कार्रवाई आदेश में सक्षम बनाने के लिए है।

5. यू. **पी. राज्य बनाम बस्ती चीनी मिल 1961 (2) एफएलआर 101 एससी, में** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया कि अधिनियम की धारा 3 (बी) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग मात्र प्रासंगिक समय पर उद्योग/कारखाने में मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए आपात स्थिति के मामले में किया जा सकता है और अधिनियम की धारा 4K से शक्ति का सहारा लेना अपर्याप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिनियम की धारा 4K के अन्तर्गत किसी संदर्भ में श्रम न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णयन किया जा सकता है, लेकिन आपात स्थिति में धारा 3 (बी) के अन्तर्गत एक आदेश भी जारी किया जा सकता है। इसलिए, इस न्यायालय का मत है कि याचियों द्वारा दिनांक 14.01.2019 को प्रत्यर्थीनं.1 के समक्ष दायर आवेदन का राज्य सरकार द्वारा जल्द से जल्द और कानून के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए।

6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निपटान प्रत्यर्थीनं.1 को यह आदेश देते हुए किया जाता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति के पेश किए जाने की तिथि से चालीस दिनों की अवधि के भीतर उपरोक्त निर्णय विधि के आलोक में एक उपयुक्त आदेश पारित करे ।यद्यपि यह स्पष्ट किया जाता है कि यह राज्य सरकार को तय करना है कि क्या अधिनियम की धार 3 (बी) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के लिए कोई आपातकालीन स्थिति है और क्या अधिनियम की धार 3 (बी) के अन्तर्गत अनुशंसित दो शर्तें निर्दिष्ट हैं या नहीं।

(आलोक सिंह, जे.)

दिनांक 30 अप्रैल, 2019

रावत